न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 31/2018 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री राजेन्द्र कुमार भारद्वाज, डी–4 स्टाफ कॉलोनी, मै0 मॉडर्न थ्रेड्स(इण्डिया) लि0 रायला जिला भीलवाड़ा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशा0) भीलवाड़ा

——अपीलार्थी ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 15/05/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशा0) भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 24.04.2018 को जरिये डाक अपील प्रेषित कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 15/03/2018 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/—रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 40एफ 922239 डाक से भिजवाते हुए सूचना चाही गयी थी, किन्तु अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 15.03.2018 की सूचना उपलब्ध कराने की निर्धारित समय सीमा 30 दिवस व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना पूर्ण उपलब्ध नहीं कराने के कारण अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 15/03/2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 27/04/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी नियत दिनांक 15.05.2018 को उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थी प्रतिनिधि उपस्थित जिसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 15.03.2018 को सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो अपील प्रकोष्ठ में 15.03.2018 को प्राप्त हुआ। आवेदन अनुसार 11 बिन्दुओं की वांछित सूचना हेतु सम्बन्धित अनुभाग से सूचना चाही गई। आवेदन दिनांक 15.03.2018 में अंकित सूचना के सम्बन्ध में प्रत्युत्तर अपने पत्रांक सूचना प्रकोष्ठ/2018 दिनांक 14.05.2018 को प्रस्तुत किया। जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अनुभागों में जो सूचना उपलब्ध थी

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उनमें से कुछ बिन्दुओं की समयावधि में तथा शेष रहे बिन्दुओं की अपील प्रस्तुत होने के पश्चात निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने प्रत्यर्थी प्रतिनिधि को सुना तथा पत्रावली एवं प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 15.03.2018 को प्रत्यर्थी को जरिये डाक सूचना का अधिकार के तहत 10/– रूपये के आइपीओ के साथ आवेदन जरिये डाक भिजवाया गया। प्रत्यर्थी को आवेदन दिनांक 15.03.2018 को प्राप्त हुआ । अपील के साथ संलग्न आवेदन में कुल 11 बिन्दु अंकित है । जिनका जवाब प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक /सूचना प्रकोष्ठ/2018 दिनांक 14.05.2018 से प्रस्तुत किया। जवाब के साथ अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 15.03.2018 की फोटो प्रति संलग्न है जिस पर बिन्दु संख्या 3–4–8 की सूचना दिनांक 27.04.2018 को तथा बिन्दु संख्या 1–2–5–6–10–11 की सूचना दिनांक 09.04.2018 को प्राप्त किए जाने के हस्ताक्षर अंकित है। सूचना की पुष्टि में जवाब के साथ सम्बन्धित अनुभागों से सूचनाएं प्रेषित की गई जिसका विवरण इस प्रकार है– बिन्दु संख्या 3–4–8 व 9 के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग ने अपने पत्रांक एफ 40–35(6)3/आरटीआई/आरए/2018/1590 दिनांक 09.04.2018 व 1560 दिनांक 19.04.2018 तथा 1765 दिनांक 14.05.2018 से प्रेषित की गई। बिन्दु संख्या 1–2–5–6–7–10–11 की सूचना पत्रांकःप 40(35(6)(1)/1/राले/18–19/11478 दिनांक 05.04.2018 से प्रेषित की गई। चूंकि अपीलार्थी के आवेदनानुसार समस्त बिन्दुओं की सूचना जो जिला कलक्टर कार्यालय के सम्बन्धित अनुभागों में उपलब्ध थी वह तैयार की जाकर अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है। आवेदन में अंकित कुछ बिन्दुओं की सूचना समयावधि में प्रस्तुत कर दी गई तथा शेष बिन्दुओं की सूचना निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई ऐसी स्थिति में अपील सारहीन प्रतीत होती है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशा0), भीलवाड़ा को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 15/05/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा